न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2651/2004/सवाईमाधोपुर

1. श्री ठाकुर जी केशवराय जी विराजमान मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर नाबालिग जरिये पुजारी एवं व्यवस्थापक मोहनलाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहमण निवासी मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र कल्याण
2. चिरंजीलाल पुत्र रामफूल समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम मानोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाईमाधोपुर
3. तहसीलदार, मलारना डूंगर, सवाईमाधोपुर

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थित–

श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री एस.के. पुरोहित, ब्रीफ होल्डर, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11–05–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुर मु0 बोली के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 183 के अन्तर्गत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम मानोली स्थित आराजी खसरा नम्बर 622 रकबा 01बीघा भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है, जिसके उत्तरी हिस्से में चार गट्ठा भूमि पर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने नाजायज कब्जा कर बाडा बना लिया है। अतः प्रतिवादी संख्या-1 व 2 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने वादपत्र, जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित तीन तनकीयात कायम की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 03-05-2002 से वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-05-2004 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03-05-2002 को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी वादी द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित आराजी प्रदर्श–1 जमाबन्दी अनुसार वादी अपीलार्थी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है, जिसके कुछ भाग पर प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 की ओर से नाजायज कब्जा कर बाडा बना लिया, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी गिरदावरी दिनांक 9–1–1994 एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 8–1–2001 से होती है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इन्हीं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत् निर्णय पारित कर प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण संख्या–1 व 2 को विवादित आराजी से बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने मूर्ति मन्दिर की भूमि पर गोपाल का भी कब्जा होना मानते हुए उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत वाद को नोन–जोइन्डर के आधार पर खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है जबकि वादी अपीलार्थी द्वारा अपने वाद में स्पष्ट रूप से अंकन किया गया था कि गोपाल ने कब्जा छोड दिया है। ऐसी स्थिति में मूल वाद में गोपाल को पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि उसके द्वारा विवादित भूमि का कब्जा मूर्ति मन्दिर के पक्ष में छोड दिया था। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-1 ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित आराजी पर रामकिशोर, चिरंजीलाल व गोपाल द्वारा कब्जा करना लिखा है जबकि दावे में वादी अपीलार्थी की ओर से रामकिशोर व चिरंजीलाल को ही प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नबाया गया है। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि मूर्ति मन्दिर की आराजी पर उनका कोई कब्जा नहीं है। अगर कोई अवैध कब्जा है तो गोपाल का हो सकता है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी करते हुए वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पारित कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विधिसम्मत् अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड एवं पारित निर्णयों का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुर मु0 बोली के न्यायालय में एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 183 के अन्तर्गत बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया ग्राम मानोली स्थित आराजी खसरा नम्बर 622 रकबा 01बीघा भूमि मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है, जिसके उत्तरी हिस्से में चार गट्ठा भूमि पर प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने नाजायज

कब्जा कर बाडा बना लिया है। वादी अपीलार्थी ने विवादित आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। तत्पश्चात् उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त उभयपक्ष की बहस सुनकर तनकीवार निर्णय पारित दिनांक 03-05-2002 पारित करते हुए वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर प्रतिवादीगण को विवादित आराजी से बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया।

8. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 जमाबन्दी अनुसार विवादित आराजी वादी अपीलार्थी मूर्ति मन्दिर की खातेदारी की भूमि है, जिसके कुछ भाग पर प्रतिवादीगण संख्या-1 व 2 की ओर से नाजायज कब्जा कर बाडा बना लिया, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी गिरदावरी दिनांक 9-1-1994 एवं तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 8-1-2001 से होती है। जहां तक अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अनुसार मूल वाद में अतिक्रमी गोपाल को पक्षकार नहीं बनाये जाने का प्रश्न है, वादी अपीलार्थी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मूलवादपत्र के चरण संख्या-4 में अंकित किया गया है कि गोपाल मीणा ने अपना कब्जा मन्दिर की जमीन पर से हटा लिया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या-1 व 2 से भी कहा कि तुम भी अपना कब्जा हटाया तो उन्होंने कहा हम हटा लेगे किन्तु प्रतिवादी संख्या-1 व 2 ने आज तक अपना कब्जा नहीं हटाया है। प्रस्तुत प्रकरण में निहित मूर्ति मन्दिर की विवादित आराजी से जब अतिक्रमी गोपाल की ओर से अपना कब्जा हटा लिया गया था तो उसे बेदखली व स्थाई

निषेधाज्ञा के मूल वाद में पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा गोपाल को बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद में पक्षकार नहीं बनाये जाने के आधार पर अपील को स्वीकार कर वाद को खारिज किया जाना विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण परिलक्षित होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए तनकीवार विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मूल वादपत्र में उल्लेखित अभिकथनों के विपरीत होने से निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-05-2004 को निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्ययालय सहायक कलक्टर, सवाईमाधोपुर मुख्यालय बोली द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03-05-2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य